

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 148/19 ता0रजु. 2.12.19. किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

श्री श्री पुत्र निरपि सिंह गुप्ता

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मलका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा 582 के खसरा नम्बर 172 रकवा 0.54 हैक्ट. किस्म भूमि श्री श्री पुत्र निरपि सिंह गुप्ता कि कपुरा 582 तह0 बयाना ने 0.16 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उभने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 172 रकवा 0.16 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा 582 से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 324 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फरस को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली यावत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 4/2/20 2019
इसल्टो क 324
न्यायालय
न्यायाधीश
न्यायाधीश

तहसीलदार
बयाना